<u>प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 38/2020)</u>

<u>तुरंत जारी करने के लिए</u>

<u>भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण</u>

नई दिल्ली, 22 जून, 2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अनचाही वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) से निपटने के लिए 19 जुलाई, 2018 को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 (टीसीसीसीपीआर, 2018) अधिसूचित किया है।

२. विनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं द्वारा अनुभव की जा रही स्पैम की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान करना है। विनियम प्रावधान करता है कि:

क. एक आसान पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से सेंडर्स का पंजीकरण, ताकि कारोबार अपनी पहचान को स्थापित कर सकें और ग्राहकों का विश्वास प्राप्त कर सकें। यह किसी अपंजीकृत सेंडर को वाणिज्यिक मैसेज शुरू करने से रोकता है और यह पंजीकृत सेंडर को भी धोखाधड़ी वाले संदेश या भ्रमित प्रकृति के संदेश भेजने से भी रोकता है।

ख. विभिन्न प्रकार के संदेशों को अलग-अलग करने हेडर्स का पंजीकरण और हेडर्स का उपयोग के लिए कारोबार अपने ग्राहकों को संदेश भेजने, ओटीपी, शेष पूछताछ, फ्लाइट अलर्ट, विशेष ऑफर्स आदि से संबंधित संचारसंचारको मैनेज,हटाने और स्टोर करने में समर्थ बनाता है।

3. विनियम की मुख्य विशेषताएं:

क) बाजार में नवाचार को अनुमति देते समय विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रेग टेक के रूप में डिस्ट्रीब्यूड टेड लेजर टेक्नोलॉजी (या ब्लॉकचैन) को अपनाना।

ख) प्रौद्योगिकी समाधान में नवाचार के जरिये अनुपालन करना को नियामक सैंडबॉक्स में प्रदर्शित होते हैं।

ग) सभी संस्थाओं के लिए बढ़ी हुई नियंत्रण और नए विकल्प जिससे वे अपने कार्य और व्यवसायों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से चला सकें।

४. इन विनियामक फ्रेमवर्क से व्यवसाय संस्थाओं को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

क. बेहतर और सुरक्षित तरीके प्रदान करके और उनके रुचि क्षेत्रों के अनुसार ग्राहकों को लक्षित करने के लिए साधन उपलब्ध कराके व्यापार के अवसरों को बढ़ाना;

ख.वे बेहतर सौदों करके अपने अवसरों को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वे लक्षित ग्राहक आधार के साथ सौदा करेंगे और उनके साथ प्राप्तकर्ता के रूचि के क्षेत्रों और उनके पसंदीदा समय और संचार के तरीकों के अनुसार संवाद करेंगे;

ग. ग्राहक डेटा को सुरक्षित तरीके से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें सक्षम करें जब वे इसे अन्य संस्थाओं के साथ साझा करें या नियामक अनुपालन को पूरा करने के लिए गतिविधियों या कार्यों को पूरा करें;
घ. उन्हें अपने ब्रांड मूल्य की रक्षा करने में सक्षम करें क्योंकि यह उन्हें प्रमाणीकरण के बाद अपनी पहचान प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदान करेगा और साथ ही उन्हें कॉलिंग नाम कार्यक्षमता का उपयोग करके अपने ब्रांड नाम को प्रदर्शित करने में सक्षम करेगा;
ड. अपने डीएसए या अधिकृत एजेंटों द्वारा गैर-अनुपालन की संभावना के जोखिम को कम करें क्योंकि वे प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों का उपयोग करके उन पर बेहतर नियंत्रण रखेंगे;
च. उन संस्थाओं के साथ सीधे जुड़ने के लिए विकल्प प्रदान करें जो वास्तव में नियामक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं या संचार प्रदान करने और अनावश्यक मध्यस्थों से बचने के लिए एक्सेस प्रदाताओं से संसाधन प्रदान कर रहे हैं।

५. विनियम प्रावधान करते हैं कि हेडर को दस्तावेजों के सत्यापन और उनकी साख के बाद मूल संस्थाओं को सौंपा जाएगा। इसके बाद, सभी टीएसपी को 20.01.2020 पर निर्देश जारी किए गए थे कि उनके द्वारा विकसित सिस्टम पर मूल संस्थाओं को शामिल किया जाए। इन निर्देशों के अनुसार, यदि मूल संस्थाएं ऐसा करने में विफल रहती हैं, तो वे कोई वाणिज्यिक संचार नहीं भेज सकते हैं।

6. टीएसपी को प्रमुख अखबारों में विज्ञापनों के माध्यम से मूल संस्थाओं को जागरूक करने के लिए भी कहा गया था और फरवरी 2020 के पहले सप्ताह में उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था।

7. टीएसपी ने उन मूल संस्थाओं के 'हेडर' से वाणिज्यिक संचार को अवरुद्ध करना शुरू कर दिया है, जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं किया है या हेडर का असाइनमेंट प्राप्त करना बाकी है। अब अगर किसी मूल संस्था को कमर्शियल कम्युनिकेशन भेजना है तो सबसे पहले उसे खुद को एक्सेस प्रोवाइडर (एस) के पास रजिस्टर करवाना होगा, अगर उसने ऐसा नहीं किया है और तो दूसरा, कमर्शियल संचार भेजने के लिए हेडर का असाइनमेंट हासिल करना होगा। ।

8. भादूविप्रा के संज्ञान में आया है कि टीएसपी संस्थाओं और हेडर के पंजीकरण के लिए बहुत अधिक समय ले रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप एसएमएस भेजने में व्यवधान हो रहा है। यह भी ध्यान में लाया गया है कि कई सरकारी संस्थाएँ भी एसएमएस भेजने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि अपने हेडर पंजीकृत नहीं करा पा रहे हैं। भादूविप्रा ने वर्तमान स्थिति का संज्ञान लिया है। भादूविप्रा ने पहले ही 19 जून 2020 को सभी टीएसपी को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं कि मूल संस्थाओं और हेडर का पंजीकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, लेकिन किसी भी मामले में संबंधित संस्थाओं द्वारा औपचारिकताओं के अधीन इसे सात दिनों के भीतर किया जा।

9. टीएसपी ने वेब पोर्टल्स पहले ही विकसित कर लिया है जहाँ पंजीकरण करना बहुत सरल है, शुल्क का भुगतान सहित यह पूरी तरह से ऑनलाइन है और आमतौर पर किसी भी वास्तविक विजिट की आवश्यकता नहीं है। सभी मूल संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने वाणिज्यिक संचार को सुचारू रूप से प्रसारित करने के लिए तुरंत टीएसपी के साथ खुद को पंजीकृत करें। जहां तक सरकारी संस्थाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया और प्रति एसएमएस 0.05 पैसे के भुगतान के लिए छूट का सवाल है, भादूविप्रा ने विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। सरकारी संस्थाओं के अनंतिम पंजीकरण के लिए एक बहुत ही सरल प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ऐसी सभी सरकारी संस्थाओं को सभी औपचारिकताओं को पूरा करने और उनके पंजीकरण को पूरा करने के लिए 31 जुलाई 2020 तक का समय दिया गया है। यह सभी सरकारी संस्थाओं की चिंता को दूर करेगा।

। 0. वाणिज्यिक संचार भेजने के व्यवसाय में प्रमुख संस्थाओं की पहचान की सुविधा के लिए, हाल ही में भादूविप्रा ने पीई के नामों के साथ एसएमएस हेडर की एक सूची प्रकाशित की है। कोई भी इस सूची को डाउनलोड कर सकता है या किसी विशेष शीर्षक को देख सकता है जिसे इसे सौंपा गया है। इससे प्राप्तकर्ता को वाणिज्यिक संचार भेजने वाले की सही पहचान सत्यापित करने में मदद मिलेगी।

11. इसके अलावा, 19.06.2020 के निदेश के तहत तहतपहूंच प्रदाताओं को अपनी वेबसाइट पर हेडरों की पूरी सूची प्रकाशित करने के लिए कहा गया है और साथ ही अपने ग्राहकों को यह जानकारी देने के लिए कहा गया है कि वे विशेष 'नंबर 1909 पर एक एसएमएस भेजकर इस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी भ्रम की स्थिति में वास्तविक पहचान और प्रेषक के अन्य विवरणों को सत्यापित करने में प्राप्तकर्ताओं की मदद करेगा।

12. दिनांक 19.6.2020 के निदेश सभी संबंधितों की जानकारी के लिए भादूविप्रा की वेबसाइट https: // trai.gov.in/release-publication/directions पर उपलब्ध है। निदेश की विषयवस्तु स्वत-स्पष्ट है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए श्री असित कादयान, सलाहकार (क्यूओएस) से टेलीफोन 011-23230404, ईमेल advqos@trai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव/भादूविप्रा

<u>अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।</u>